न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज. सरकार बनाम कमलेश मु.नं.– 11/25 किस्म – धारा 131 ...	

9.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सहखातेदार नरेश, मंगली एवं लाडबाई के अलावा सभी की सहमति प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते आग्रिम कार्यवाही दिनांक 30.5.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

30.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। खातेदार लाडबाई की ओर से सहमति पत्र पेश हुआ। खातेदार नरेश की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा प्रमाणित किया गया कि उक्त खसरों का खातेदार नरेश सैनी पुत्र छोटेलाल निवासी नांगल सुमेरसिंह 2 वर्ष पूर्व अविवाहित फौत हो गया है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा बताया कि खातेदार मंगली पत्नि भूल्या फौत हो गई है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.6.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

17.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र बाबत रास्ता अंकन प्रस्ताव का, पत्रावली का एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र बाबत रास्ता अंकन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए	तारीख इस हुक्म में जारी
	राज. सरकार बनाम कमलेश मु.न.– 11/25 किस्म –धारा 13/PG Act		
	फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा)		

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
11/2025	10.02.2025	17.06.2025

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

2. कमलेश पुत्र लक्ष्मण, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।
2. अप्रार्थी – कमलेश पुत्र लक्ष्मण।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम नांगल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार आराजी के खसरा सं. 406 किस्म बंजड रकबा 0.05 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे., 407 किस्म बंजड रकबा 0.05 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे., कुल किता 2 रकबा 0.02 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै. मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी कौशल्या पत्नी स्व. लक्ष्मण, कमलेश पुत्र लक्ष्मण, भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मण, गिर्राज पुत्र लक्ष्मण, लाडबाई पुत्री लक्ष्मण, जोहरीलाल पुत्र रामहेत, बबली पुत्र रामहेत, मनोहर पुत्र रामहेत, महेश पुत्र छोटेलाल, कलावती पत्नी छोटेलाल, बनवारी लाल पुत्र मूला, हुकम चन्द पुत्र मूला, हबलू पुत्र मूला के द्वारा शपथ पत्र (सहमति) प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके कब्जे तथा स्वामित्व की भूमि वाके ग्राम नांगल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 406 में से 0.01 हैक्टे., 407 में से 0.01 हैक्टे., कुल रकबा 0.02 हैक्टे. में होकर रास्ता बनाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। खसरा संख्या 406 व 407 के समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है। सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उक्त खसरों का खातेदार नरेश सैनी पुत्र छोटेलाल निवासी नांगल सुमेरसिंह 2 वर्ष पूर्व अविवाहित फौत हो गया है

4. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी व सहमति पत्र आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मण्डावर ने इस प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरों के खातेदारों ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 406 में से 0.01 हैक्टे. व 407 में से 0.01 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 हैक्टे. वाके राजस्व ग्राम नांगल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

6. राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक–पं.3(2) राज.–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं खातेदारों की सहमति के आधार पर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम नागल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार, खसरा सं. 406 में से 0.01 हैक्टे. व 407 में से 0.01 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 हैक्टे. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 17.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)